366 की उत्तरी मेड़ में निकलन के निशान है इसी प्रकार ख.नं. 363 जो वादी के नाम दर्ज होकर इस आराजी के पश्चिम मेड़ से कुछ उत्तर की ओर निकलने के निशानात है ख.नं. 363 के पश्चिमी पश्चिमी कोने पर ख.नं. 364 से 368 तक खाई खोद रखी है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया।

ग्राम खातीखेड़ा के ख.नं. 158 रकबा 15.03 बीघा (साबिक) खातेदार रेखा s/o हेमा गुजर सा. देह के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी जो रेखा के फौत होने के पश्चात विरासत से खाता रामनाथ, लेहरू पि. रेखा गुजर के नाम दर्ज हुआ। ग्राम खातीखेड़ा के साबिक आराजी नं. 158 की रकबा 15.03 बीघा भूमि के हाल में ख.नं. 357/0.09, 358/0.05, 359/0.20, 360/0.95, 361/0.01, 362/0.02, 363/1.95 हे. बनने की पुष्टि मिलान क्षेत्रफल से होती है।

चूंकि वर्तमान आराजी संख्या 397, 396, 364, 363, 366, 372, में जिस स्थान पर डोलेड़ लाईन अंकित कर रखी है जबकि नव प्रबन्ध के से पूर्व के नक्शा ख.नं. 180, 181, 175, 159, 174, 158, 160 व 161 में उक्त स्थान पर किसी भी तरह की डोलेड़ लाईन अंकित नहीं है। अर्थात नव प्रबन्ध से पूर्व के

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

नक्शा में उक्त स्थान पर कोई डाटेड लाईन नहीं है। ग्राम खातीखेड़ा स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 363 के दक्षिणी पश्चिम तरफ राजस्व नक्शे में जो डॉटेड लाइन अंकित है। तथा आराजी संख्या 397, 364, ~~363~~, 366, 372 में जो डॉटेड लाईन दर्शा रखी है उसे भी यह न्यायालय हटाने की प्रार्थीगण की प्रार्थना को उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R Act का स्वीकार योग्य पाया जाता है अतएव

आदेश

प्रार्थीगण का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R Act का स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खातीखेड़ा की आराजी नं 363 के दक्षिणी पश्चिम तरफ राजस्व नक्शे में जो डॉटेड लाईन अंकित है उसे हटाने बाबत आदेश दिया जाता है एवं आराजी नं. 397, 364, 366, 372 में भी जो डॉटेड लाइन दर्शा रखी है उसे भी हटाने बाबत आदेश दिया जाता है। नक्शे में उक्तानुसार तरमीम दुरुस्त करने बाबत तहसीलदार सहाड़ा को अधिकृत किया जाता है। पत्रावली बाद तामील रजिस्टर से कम हो। फैसल शुमार होकर दाखल

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)